Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies
Online ISSN 2278-8808, SJIF 2024 = 8.153
https://www.srjis.com/issues_data/246
Peer Reviewed & Refereed Journal, JAN-FEB 2025, Vol- 13/87

डॉ. भीमराव आंबेडकर की कॉलेज प्रोफेसर के रुप में भूमिका और प्रभाव: एक अध्ययन

डॉ महेश चन्द गोठवाल

ऐशोसिएट प्रोफेसर (लोक प्रशासन), बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय, अलवर

Paper Received On: 20 JAN 2025

Peer Reviewed On: 24 FEB 2025

Published On: 01 MAR 2025

Abstract

डॉ. भीमराव रामजी आंबेडकर (1891-1956) मुख्य रूप से भारतीय संविधान के निर्माता, सामाजिक सुधारक और अर्थशास्त्री के रूप में प्रसिद्ध हैं, उन्हें यह प्रसिद्धि प्राप्त कराने मे कॉलेज प्रोफेसर के रूप प्राप्त अनुभव की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। डॉ. आंबेडकर की कॉलेज प्रोफेसर की भूमिका उनके बहुआयामी व्यक्तित्व का एक कम चर्चित लेकिन अत्यंत प्रभावशाली अध्याय है। 1918 में वे मुंबई के सिडेनहैम कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स में पॉलिटिकल इकोनॉमी के प्रोफेसर नियुक्त हुए, जहाँ उन्होंने 1918 से 1920 तक पढ़ाया। बाद में 1928 में गवर्नमेंट लॉ कॉलेज, बॉम्बे में प्रोफेसर और 1935 में उसके प्राचार्य बने। इस शोध पत्र में उनकी अध्यापन विधि, मूल्यांकन शैली, विद्यार्थियों पर प्रभाव, प्रोफेसर के रूप में उनकी भूमिका का उनके आगामी जीवन तथा शिक्षा संबंधी चिंतन पर इसके प्रभाव का विश्लेषण करने का प्रयास किया गया है। यह अध्ययन दर्शाता है कि जातीय भेदभाव के बीच भी उनकी भूमिका ने शिक्षा को मुक्ति का माध्यम बनाया और उनके बाद के सामाजिक-राजनीतिक कार्यों को प्रभावित किया।

परिचय

भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, भारतीय संवैधानिक और सामाजिक न्याय के इतिहास में डॉ. आंबेडकर एक बहुआयामी व्यक्तित्व हैं। कोलंबिया विश्वविद्यालय और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से अर्थशास्त्र, कानून और राजनीति विज्ञान में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद 1917 में भारत लौटने पर उन्होंने शिक्षा क्षेत्र में प्रवेश किया। प्रोफेसर के रूप में उनकी भूमिका मात्र रोजगार नहीं, बल्कि जाति-आधारित उत्पीड़न के विरुद्ध एक विद्रोह थी।

सिडेनहैम कॉलेज में प्रोफेसर के रूप में भूमिका (1918-1920)

1917 में विदेश से लौटने के बाद डॉ. आंबेडकर को औपनिवेशिक भारत की शिक्षा व्यवस्था में प्रवेश मिलना आसान नहीं था। वे दलित समुदाय से थे और 'अछूत' माने जाते थे। फिर भी उनकी विद्वता (एम.ए., पीएच.डी. कोलंबिया; एम.एससी., डी.एससी. एलएसई) ने उन्हें अवसर प्रदान किया। 1918 में सिडेनहैम कॉलेज उस समय मुंबई का प्रमुख वाणिज्यिक कॉलेज था। 1 अक्टूबर 1918 को डॉ. आंबेडकर को सिडेनहैम कॉलेज में टेम्परेरी प्रोफेसर ऑफ इकोनॉमिक्स (पॉलिटिकल इकोनॉमी) के पद पर नियुक्त किया गया। इस पद के लिए 5 दिसंबर, 1917 को अपनी

Copyright © 2025, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies

डॉ अंबेडकर ने अपनी अर्जी भेजी थी। इस जगह के लिए ग्यारह उम्मीदवार थे। तत्कालीन प्राचार्य अन्स्टी ने जब इंग्लैंड से प्रो. एडविन केनन की राय पूछी तो केनन ने सूचित किया, "विद्यार्थियों को उत्तीर्ण करने के लिए आंबेडकर अपने ज्ञान का सारा खजाना उनके सामने उंडेल देंगे।"* अधिकारियों ने भी उनके आवेदन पत्र पर यही टिप्पणी लिखी कि 'महार' होते हुए भी उन्होंने जो ज्ञानार्जन किया है और यश पाया है इससे ही यह स्पष्ट है कि वे असाधारण गुणों के धनी हैं। उनका व्यवहार अत्यंत सभ्य तथा व्यक्तित्व आह्लादकारक है।1

उनका मासिक वेतन 450 रुपये था। उन्होंने राजनीतिक अर्थशास्त्र पढ़ाया। छात्रों में वे अत्यंत लोकप्रिय थे क्योंकि उनकी शिक्षण शैली आधुनिक, तथ्य-आधारित और सामाजिक यथार्थ से जुड़ी थी। पहले पहले डा. आंबेडकर अस्पृश्य हैं, यह पता चलते ही विद्यार्थी उनकी कक्षा में विशेष रुचि नहीं लेते थे। किंतु जैसे जैसे उनकी पढ़ाने की शैली प्रशंसा पाने लगी, वैसे वैसे उनकी कक्षा में विद्यार्थियों की उपस्थिति बढ़ने लगी। आंबेडकरं का गहन अध्ययन, सर्वांगीण विवेचन और विचारों का स्पष्टीकरण, विद्यार्थियों को कक्षा में बांधे रखता था। यहां तक कि अन्य कालेज के विद्यार्थी भी आंबेडकर की अनुमति प्राप्त कर उनकी कक्षा में उनका व्याख्यान सुनने सहर्ष उपस्थित रहते थे। अपने पढ़ाने के तरीके से वे विद्यार्थियों में बहुत ही लोकप्रिय हो गये थे।2

मार्च 1920 में उन्होंने उच्च शिक्षा (लंदन में कानून और अर्थशास्त्र) के लिए इस्तीफा दे दिया। कुल कार्यकाल लगभग डेढ़ वर्ष का था, लेकिन इस दौरान उन्होंने शिक्षा को समानता का माध्यम बनाया।

गवर्नमेंट लॉ कॉलेज में भूमिका (1928 व 1935-1937)

जून 1928 को वे गवर्नमेंट लॉ कॉलेज, बॉम्बे में प्रोफेसर (lecturer) नियुक्त हुए।3 जून 1928 से मार्च 1929 तक अस्थायी प्रोफेसर रहे। लॉ कालेज में अपनी अध्यापन शैली से उन्होंने विशेष पहचान स्थापित की।

1 जून 1935 को उन्हें कॉलेज का प्रिंसिपल नियुक्त किया गया, 1935 में सर जान न्यूमान्ट बंबई हाइकोर्ट के प्रमुख न्यायाधीश थे। शुरू शुरू में उनकी राय डा. आंबेडकर के विरुद्ध थी। लेकिन क्रिमिनल अपील के मामलों में उनका बेहतरीन काम देखकर मुख्य न्यायाधीश उनसे बेहद खुश हो गये और उनकी बहुत इज्जत करने लगे। कभी कभी वे डा. आंबेडकर को चाय पर भी आमंत्रित करते थे। इतना ही नहीं, मुख्य न्यायाधीश पर डा. आंबेडकर का इतना प्रभाव पड़ा कि उन्हें लॉ कालेज के प्राचार्य पद पर आसीन करने में उन्हें गर्व का अनुभव हुआ। जो उन्होंने दो वर्ष (1935-1937) तक संभाला।4 इस पद पर उन्होंने कानूनी शिक्षा को आधुनिक और सामाजिक न्याय से जोड़ा। इस दौरान उन्होंने राजनीति, महाड़ सत्याग्रह (1927) और गोलमेज सम्मेलन (1930-32) में सक्रिय भूमिका निभाई, जिससे शिक्षण कार्य आंशिक रूप से प्रभावित हुआ, लेकिन उन्होंने कानूनी शिक्षा में योगदान जारी रखा। बाद में वे रामजस कॉलेज (दिल्ली विश्वविद्यालय) के गवर्निंग बॉडी के चेयरमैन भी बने।

डॉ. आंबेडकर की अध्यापन शैली

डॉ. आंबेडकर की अध्यापन शैली पारंपरिक रट्टा-आधारित नहीं, बल्कि आलोचनात्मक विचारशैली, सामाजिक यथार्थ और अंतःविषयक थी। आंबेडकर का गहरा अध्ययन, सिद्धान्तों का विस्तृत विवेचन करने की उनकी कुशलता और उनकी विचारप्रवर्तक शैली से विद्यार्थी उनकी ओर पूरी तरह से चकाचौंध हो गए। आधुनिक काल के अनुरूप सुन्दर पोशाक परिधान किये हुए उस युवा प्राध्यापक की आँखों का तेज, उसके गहन विचार तथा तलस्पर्शी पांडित्य

Copyright © 2025, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies

का लाभ हमें भी हो, इस उद्देश्य से अन्य महाविद्यालय के छात्र भी उनकी सम्मति पाकर उनके व्याख्यानों के लिए उपस्थित रहने लगे। उस समय प्राध्यापक आंबेडकर ने अपने व्याख्यानों की टिप्पणियों का जो प्रचंड संग्रह तैयार किया था, उससे अर्थशास्त्र पर एक महान ग्रंथ का निर्माण हो सकता था। 5

सिडेनहैम कॉलेज में उन्होंने राजनीतिक अर्थशास्त्र को मात्र सिद्धांत नहीं, बल्कि जाति आधारित आर्थिक शोषण के विश्लेषण का माध्यम बनाया। वे पहले विद्वान थे जिन्होंने अस्पृश्यता को शोषण की आर्थिक प्रणाली के रूप में चित्रित किया। वे जॉन डीवी (John Dewey) के प्रभाव से प्रागमैटिक शिक्षा का समर्थक थे, वे शिक्षा को जीवन की वास्तविकता से जोड़ना चाहते थे। डॉ अंबेडकर शिक्षक को मित्र, मार्गदर्शक और दार्शनिक मानते थे। वे छात्रों के मानसिक कौशल को जगाते थे, असहमति को स्वीकार करते थे।

मूल्यांकन शैली

डॉ. आंबेडकर की मूल्यांकन शैली समझ, विश्लेषण और व्यावहारिक कौशल पर केंद्रित थी। सिडेनहम कालेज में प्रतिष्ठा प्राप्त करने के प्रमाण स्वरूप डॉ. आंबेडकर को नागपुर, मद्रास और बम्बई के विश्वविद्यालयों ने अपना परीक्षक नियुक्त किया।6 डॉ. आंबेडकर वर्तमान परीक्षा प्रणाली के समर्थक नहीं थे। वे लिखित परीक्षाओं की महत्ता को घटाकर मौखिक परीक्षा को अधिक महत्ता देना चाहते थे। उनका यह भी कहना है कि विद्यार्थी जो काम कक्षा में करता है उसे ही उसकी सफलता का मापदंड मानना चाहिए। परीक्षा प्रणाली के अंतर्गत परीक्षक का कार्य करने की उनकी अलग रीति थी। उनके अनुसार "उत्तर जांचने के लिए मेरे कुछ अपने ही कायदे थे। मैं पचास प्रतिशत नम्बर वस्तु विशेष (मैटर) के लिए और पचास प्रतिशत नम्बर उत्तर की रीति के लिए अलग रखता था। रीति में भाषा, लिखाई और उत्तर लिखने का ढंग भी आ जाता है। मेरा सिद्धांत प्रत्येक विद्यार्थी को पास कर देना ही था। प्रायः सबसे पहले मैं तैंतीस प्रतिशत यानी तीसरी श्रेणी के नम्बर अधिक देता कभी-कभी ऐसा भी हो जाया करता, विशेषकर जब मुझे एक-एक हजार उत्तर पुस्तकें जांचनी पड़तीं, कि मैं यह निश्चित कर पाता था कि कितने अंक दूं। ऐसी हालत में मैं सबसे प्रथम उत्तर पुस्तक को पूरा पढ़ डालता और तब नम्बर देता। 33% नम्बर देने के बाद जब कोई विद्यार्थी अच्छे उत्तर लिखता तब उसे 45% नम्बर भी दे दिया करता। 45% के बाद मैं कड़ाई से नम्बर देता था।" 7

सिफारिश से अंक बढ़वाने के बारे मे भी वे पूर्णतः स्पष्ट थे, इस संबंध मे उन्होंने बताया था कि "हां, एक बार एक अस्पृश्य विद्यार्थी के रिश्तेदार को यह पता चला कि मैं मुंबई विश्वविद्यालय का परीक्षक हूं। वह व्यक्ति मेरे पास आकर अपने उस विद्यार्थी को पास करने के लिए अनुरोध करने लगा। उसे लगा कि वह विद्यार्थी भी एक अस्पृश्य है, इसलिए मैं उसका आग्रह मानकर यह मदद अवश्य करूंगा। मगर मेरे लिए जो असंभव था। मैंने उसे साफ साफ कह दिया, "माना कि यदि मैं चाहूं तो यह संभव है, परंतु मुझे यह शोभा नहीं देता। साथ ही, इस तरह किसी के लिए सिफारिश करना मुझे घृणास्पद लगता है। मेरी तो यह धारणा है कि अस्पृश्य विद्यार्थी की ओर से ऐसा व्यवहार ही नहीं होना चाहिए कि जिससे अपनी बुद्धिमानी और योग्यता में अन्य विद्यार्थियों की अपेक्षा उसमें किसी भी प्रकार की कमी प्रगट हो। मैं तो यही चाहता हूं कि वह अन्य विद्यार्थियों की तुलना में एक आदर्श विद्यार्थी के रूप

Copyright © 2025, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies

में ही अपना अस्तित्व स्थापित करे।" "मेरा यह जवाब सुनकर वह व्यक्ति चुपचाप लौट गया।"8 इस प्रकार एक परीक्षक के रूप में डा. आंबेडकर की यह निष्ठा महान थी।

विद्यार्थियों पर प्रभाव

डॉ. आंबेडकर छात्रों में अत्यधिक लोकप्रिय थे। सिडेनहम कालेज के जिस हाल में प्रोफेसर आंबेडकर पढ़ाते थे वह हाल विद्यार्थियों से खचाखच भर जाता था। कभी ऐसा भी होता कि जब कोई विद्यार्थी प्रोफेसर साहब से अपने लिए पहले से आज्ञा प्राप्त कर सकता था तब तक वह क्लास रूम के बाहर ही खड़ा होकर उनके भाषण को सुनता। प्रोफेसर आंबेडकर बड़े ही कायदे से काम करते थे। उसी कालेज में जहां अन्य प्रोफेसर कभी-कभी विद्यार्थियों के मजाक का निशाना बनते थे। किसी की क्या मजाल थी कि जरा-सा चूं कर दे। थोड़े ही दिनों में प्रोफेसर आंबेडकर का इतना अधिक नाम हो गया कि उनकी वजह से लोग सिडेनहम कालेज को बम्बई का एक प्रसिद्ध कालेज मानने लगे। उसी वर्ष अर्थशास्त्र में सिडेनहम कालेज बम्बई के अन्य कालेजों में सर्व प्रथम रहा। सिडेनहम कालेज को यह सम्मान प्रोफेसर आंबेडकर के सारगर्भित भाषणों के कारण ही था।9 लॉ कालेज में पढ़ाते समय भी उनके बारे में कहा जाता था कि अगर वे यहां शिक्षा देते रहे तो उनके विचारों से कालेज के विद्यार्थी विप्लवी हो जायेंगे और कालेज की दीवारें ढह जायेंगी।10 उनकी प्रेरणा से अनेक छात्र सामाजिक परिवर्तन में सक्रिय हुए। की। डॉ अंबेडकर ने 28 अक्टूबर 1951 को डी.ए.वी. कॉलेज, जालंधर (पंजाब) में अपने भाषण में कहा था कि, 'विद्यार्थी मुझे सर्वप्रिय है' (Students are my first love)। उन्होंने कहा कि, "सक्रिय राजनीति में प्रवेश से पहले मैं भारत के अनेकों महाविद्यालयों में बतौर प्राध्यापक, और प्राचार्य पदों पर रहकर विद्यार्थियों को पढ़ाने में असीम आनंद लेता रहा हूं"11 "देश का भविष्य, देश उन पर ही निर्भर है। वे किसी भी जाति के हों, बुद्धिजीवी वर्ग होते हैं, वे जनमत को प्रभावित कर सकते हैं।"12

सहकर्मियों के साथ संबंध

उनका भारतीय शिक्षा प्रणाली में एक अछूत होकर प्रोफेसर बनना ब्रिटिश काल में दुर्लभ संयोग था पर छात्रों में अत्यधिक लोकप्रियता प्राप्त कर उन्होंने अस्पृश्यता की सामाजिक बाधा पर विजय प्राप्त की थी। लेकिन वे सहकर्मियों की छुआछूत से बच नहीं पाए थे। यद्यपि प्राध्यापक के रूप में आंबेडकर को सफलता मिली, फिर भी उनकी भर्त्सना रुक गयी थी, ऐसी बात बिलकुल नहीं थी। प्राध्यापक वर्ग के लिए रखे गये पानी के बर्तन को आंबेडकर हाथ से स्पर्श न करें यह सावधानी वहाँ के गुजराती प्राध्यापकों ने बरती थी।13 इस तरह उन्होंने जातीय भेदभाव का सामना करते हुए अपना कार्य किया।

डॉ. आंबेडकर के चिंतन पर प्रोफेसर भूमिका का प्रभाव

प्रोफेसर पद के अनुभव ने डॉ. आंबेडकर के जीवन को गहराई दी। प्रोफेसर रहते हुए ही उनका राजनीति में प्रवेश हुआ। इसी समय उन्होंने साउथबोरो कमिटी के समक्ष गवाही दी और राजनीति में सक्रियता बढ़ी। प्रोफेसर अनुभव ने उनके शिक्षा-विचार को व्यावहारिक और क्रांतिकारी बनाया। उन्होंने शिक्षा को मुक्ति का हथियार माना और कहा कि "बुद्धि का विकास ही मानव जीवन का अंतिम लक्ष्य है।" जातीय भेदभाव का सामना कर उन्होंने शिक्षा

को सामाजिक गुलामी तोड़ने का साधन माना। विश्वविद्यालय शिक्षा मे उन्होंने कॉलेज और विश्वविद्यालय के शिक्षकों के भेद को समाप्त करने की वकालत की। शिक्षक-छात्र संपर्क को अनिवार्य माना।

डॉ. भीमराव आंबेडकर ने प्रोफेसर के रूप में कार्य करते हुए शिक्षा और शिक्षण प्रणाली का जो वास्तविक व व्यावहारिक अनुभव प्राप्त किया। उन्होंने कॉलेज स्तर पर जातीय भेदभाव, छात्रों की कमियों, पाठ्यक्रम की कमियों, उच्च शिक्षा की पहुंच और प्रशासनिक चुनौतियों को प्रत्यक्ष देखा। यह अनुभव उनके बॉम्बे विधान परिषद (1927-1937) के दौरान शिक्षा संबंधी प्रस्तावों और भाषणों का आधार बना। प्रोफेसर काल ने उन्हें सिखाया कि शिक्षा मात्र ज्ञान नहीं, बल्कि सामाजिक मुक्ति का हथियार है, खासकर पिछड़े और दलित वर्गों के लिए। इसीलिए उन्होंने प्राथमिक शिक्षा में अनुदान वृद्धि और ड्रॉपआउट रोकथाम का प्रस्ताव तैयार कर बंबई विधानमंडल14 मे प्रस्तुत कर 12 मार्च 1927 और 5 अक्टूबर 1927 के बजट/शिक्षा अनुदान बहस में डॉ. आंबेडकर ने प्राथमिक शिक्षा पर अधिक धन खर्च करने की मांग की। उन्होंने कहा कि प्राथमिक शिक्षा का उद्देश्य केवल नामांकन नहीं, बल्कि हर बच्चे को कम से कम चौथी कक्षा तक पहुंचाना और आजीवन साक्षर बनाए रखना है। उन्होंने सरकारी आंकड़ों का हवाला देते हुए बताया कि केवल 18% छात्र ही चौथी कक्षा तक पहुंच पाते हैं और प्राथमिक शिक्षा पर खर्च का लगभग 50% बर्बाद हो जाता है। सिडेनहैम कॉलेज में पढ़ाते हुए उन्होंने देखा कि उच्च शिक्षा (जो वे पढ़ा रहे थे) तभी प्रभावी होती है जब आधारभूत प्राथमिक शिक्षा मजबूत हो। दलित छात्रों में ड्रॉपआउट की समस्या उन्होंने व्यावहारिक रूप से महसूस की। उन्होंने शिक्षा मंत्री से अपील की कि बिना पर्याप्त धन के प्राथमिक शिक्षा व्यर्थ है। उन्होंने शराब (एक्साइज) से मिलने वाले राजस्व को शिक्षा पर खर्च किया जाए (उन्होंने गणना की कि प्रति व्यक्ति शिक्षा पर 14 आना खर्च होता है, जबकि एक्साइज से 2.17 रुपये वसूले जाते हैं)।

डॉ. भीमराव आंबेडकर ने बॉम्बे विश्वविद्यालय अधिनियम संशोधन विधेयक (Bombay University Act Amendment Bill, 1927)15 के अंतर्गत प्रस्ताव प्रस्तुत कर बंबई विधान मण्डल में उन्होंने विश्वविद्यालय की नीति की आलोचना की कि वह पिछड़े/दलित वर्गों को प्रोत्साहित नहीं करती। उन्होंने मांग की कि विश्वविद्यालय को "विद्वानों का निगम" (corporation of scholars) बनाया जाए और उच्च शिक्षा को गरीबों/जरूरतमंदों तक पहुंचाया जाए। उन्होंने उच्च शिक्षा को सस्ता बनाने, शुल्क कम करने और पिछड़े वर्गों के लिए विशेष सुविधाएं (स्कॉलरशिप, हॉस्टल) देने का सुझाव दिया। सिडेनहैम कॉलेज में सहकर्मियों द्वारा छुआछूत (पानी का जग) और लॉ कॉलेज में छात्रों की कमियों (तर्कशक्ति, भाषा, सामाजिक समझ की कमी) को देखकर उन्होंने महसूस किया कि विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम रट्टू और ऊपरी वर्ग केंद्रित है। 1925 में यूनिवर्सिटी रिफॉर्म्स कमिटी को दिए उनके लिखित साक्ष्य भी इसी अनुभव पर आधारित थे।

प्राथमिक शिक्षा अधिनियम संशोधन विधेयक16 पर विरोध और सुरक्षा उपाय (Bombay Primary Education Act Amendment Bill) का प्रस्ताव लाकर उन्होंने स्थानीय बोर्डों (स्कूल बोर्ड) को प्राथमिक शिक्षा सौंपने का विरोध किया क्योंकि ये बोर्ड ऊंची जातियों के वर्चस्व वाले थे और दलितों के साथ भेदभाव करेंगे। उन्होंने मांग की कि बोर्डों पर निगरानी एजेंसी हो, पिछड़े वर्गों के हितों की रक्षा हो, और अलग-अलग स्कूल न बनाए जाएं (ताकि विभाजन न बढ़े)। शिक्षकों के लिए प्रोत्साहन और सरल पाठ्यपुस्तकें भी सुझाईं। प्रोफेसर के रूप में उन्होंने कॉलेज स्तर पर

Copyright © 2025, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies

जातीय पूर्वाग्रह देखे थे। उन्होंने अनुभव किया कि यदि प्राथमिक स्तर पर ही भेदभाव हुआ तो उच्च शिक्षा (जो वे पढ़ा रहे थे) व्यर्थ हो जाएगी।

वे शिक्षा के व्यावसायीकरण और मंहगी शिक्षा के विरोधी थे। उनका प्रस्ताव था कि शिक्षा विभाग को लागत-लाभ के आधार पर नहीं चलाना चाहिए। शुल्कों से 31-36% खर्च वसूला जाता है, जो शिक्षा को व्यापार बना देता है। निचले वर्गों को हाई स्कूल/कॉलेज पहुंचने का मौका मिल रहा है, इसलिए उच्च शिक्षा का शुल्क कम रखे जाने के पक्षधर थे। लॉ कॉलेज प्रिंसिपल के रूप में उन्होंने देखा कि छात्र शुल्क के बोझ से प्रभावित होते हैं और गुणवत्ता प्रभावित होती है। उनकी कक्षाओं में दलित छात्रों की संख्या कम होने का कारण यही था।

डॉ. भीमराव आंबेडकर ने प्रोफेसर के रूप में कार्य करते हुए जो अनुभव प्राप्त किया उसके आधार पर वे विभिन्न शिक्षा संस्थानो की स्थापना करने मे सफल रहे। उन्होंने शिक्षा को दलितों, पिछड़ों और समाज के वंचित वर्गों की मुक्ति का सबसे बड़ा हथियार माना। इसी दृष्टि से उन्होंने पीपुल्स एजुकेशन सोसाइटी (People's Education Society - PES) की स्थापना 8 जुलाई 1945, मुंबई में की, जो उनके द्वारा स्थापित सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा संबंधी संस्था है। पीपुल्स एजुकेशन सोसाइटी के माध्यम से उन्होंने कई कॉलेज और स्कूल स्थापित किए, जिनका उद्देश्य बौद्ध आदर्शों, समानता, न्याय और सामाजिक लोकतंत्र को बढ़ावा देना था। 20 जून 1946 को सिद्धार्थ कॉलेज ऑफ आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स डॉ. आंबेडकर की प्रत्यक्ष प्रेरणा से मुंबई में स्थापित पीपुल्स एजुकेशन सोसाइटी का पहला कॉलेज था। सिद्धार्थ नाइट हाई स्कूल (रात्रि स्कूल) कामकाजी युवाओं के लिए 1946 मुंबई में स्थापित किया गया। 19 जून 1950 को औरंगाबाद मे मिलिंद महाविद्यालय की स्थापना की जिसका राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने शिलान्यास किया। पीपुल्स एजुकेशन सोसाइटी के आज भी 12 से अधिक कॉलेज, हाई स्कूल, पॉलिटेक्निक और अन्य संस्थान संचालित करती है (मुंबई, औरंगाबाद, पुणे, नवी मुंबई, नांदेड़, बेंगलुरु आदि में)। संविधान निर्माण करते हुए उन्होंने शिक्षा को मौलिक अधिकारों और निर्देशक सिद्धांतों (अनुच्छेद 45, 46) में शामिल किया जिसके परिप्रेक्ष्य मे प्रोफेसर काल की अंतर्दृष्टि ही थी।

निष्कर्ष (Conclusion)

डॉ. आंबेडकर की प्रोफेसर भूमिका ने न केवल छात्रों को प्रेरित किया, बल्कि उनके आगामी जीवन और शिक्षा-विचार को आकार दिया। जातीय बाधाओं के बीच भी उन्होंने शिक्षा को समता, न्याय और मुक्ति का माध्यम बनाया। एक अछूत विद्वान के रूप में उन्होंने साबित किया कि योग्यता जाति से ऊपर है। सिडेनहैम कॉलेज में प्रोफेसर के रूप में उनकी नियुक्ति और उस नियुक्ति को उन्होंने अपनी विद्वता से सही सिद्ध किया। उनका भारतीय शिक्षा प्रणाली में एक अछूत होकर प्रोफेसर बनना ब्रिटिश काल में दुर्लभ संयोग था। अस्पृश्यता की सामाजिक बाधा पर उन्होंने विजय प्राप्त की थी। आज के समावेशी शिक्षा युग में उनका उदाहरण प्रासंगिक है। उन्होंने अपने शिक्षण दर्शन से अर्थशास्त्र को मात्र सिद्धांत नहीं, बल्कि जाति-आर्थिक शोषण के विश्लेषण का माध्यम बनाया। छात्रों को उन्होंने समानता, गतिशीलता और गरिमा का पाठ पढ़ाया। शिक्षक के रूप मे उनकी लोकप्रियता इस बात का प्रमाण है कि शिक्षा जातीय पूर्वाग्रहों को चुनौती दे सकती है। गवर्नमेंट लॉ कॉलेज में प्रिंसिपल के रूप में उन्होंने कानूनी शिक्षा को मजबूत किया। यह भूमिका दर्शाती है कि शिक्षा सामाजिक न्याय की आधारशिला है। आज के

Copyright © 2025, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies

समय में, जब शिक्षा में समावेशिता एक चुनौती है, डॉ. आंबेडकर का उदाहरण प्रासंगिक है। डॉ. आंबेडकर की प्रोफेसर भूमिका ने उन्हें सैद्धांतिक ज्ञान के साथ व्यावहारिक अंतर्दृष्टि दी। सिडेनहैम में जातीय भेदभाव और लॉ कॉलेज में प्रशासन/पाठ्यक्रम की कमियों ने समावेशी, सस्ती और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए लड़ने के लिए प्रेरित किया। उनके प्रस्ताव प्राथमिक शिक्षा में पढ़ाई छोड़ने से रोकना, उच्च शिक्षा में पहुंच, और कानूनी शिक्षा में व्यावहारिकता आज भी प्रासंगिक हैं । यह प्रस्ताव न केवल दलितों के लिए थे, बल्कि पूरे समाज के लिए समान अवसर पैदा करने वाले थे। डॉ अंबेडकर प्रोफेसर के रूप में केवल 2-3 वर्ष ही कार्य कर सके राजनीतिक दायित्वों के कारण पूर्ण रूप से शिक्षा क्षेत्र में नहीं रह सके पर उनके प्रोफेसर का अनुभव और शिक्षा के प्रति उनके प्रेम के प्रभाव ने पीपुल्स एजुकेशन सोसाइटी (1945) और सिद्धार्थ कॉलेज जैसे संस्थानों को स्थापित किया। भारत के संविधान में शिक्षा को महत्वपूर्ण स्थान दिलाया।

संदर्भ ग्रंथ सूची

वसंत मून, अनुवादक प्रशांत पांडे, डॉ बाबासाहेब अंबेडकर, नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया, 1991, पृष्ठ संख्या 17
पूर्वोक्त, पृष्ठ संख्या 18
डॉ एम एल परिहार, बाबासाहेब आंबेडकर लाइफ एंड मिशन, बुद्धम पब्लिशर्स, 2017 पृष्ठ संख्या 83
वसंत मून, पूर्वोक्त, पृष्ठ संख्या 95
धनंजय कीर, अनुवादक गजानन सुर्वे, डॉ बाबासाहेब अंबेडकर जीवन चरित, पापुलर प्रकाशन, पृष्ठ संख्या 39
रामचंद्र बनौधा, डॉ अंबेडकर का जीवन संघर्ष, सम्यक प्रकाशन, 2009, पृष्ठ संख्या 32
पूर्वोक्त
पूर्वोक्त, पृष्ठ संख्या 33
पूर्वोक्त, पृष्ठ संख्या 32
वसंत मून, अनुवादक प्रशांत पांडे, डॉ बाबासाहेब अंबेडकर, नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया, 1991, पृष्ठ संख्या 95
जितेंद्र पिपलायन, सिंबल ऑफ़ नॉलेज बाबासाहेब डॉ अंबेडकर का शिक्षा दर्शन, सम्यक प्रकाशन 2023, पृष्ठ संख्या 185
पूर्वोक्त, पृष्ठ संख्या 26
धनंजय कीर, पूर्वोक्त, पृष्ठ संख्या 39
डॉ आंबेडकर मुंबई विधान मंडल में, बाबा साहेब डॉ अंबेडकर संपूर्ण वांग्मय, खंड 3, 2013, पृष्ठ संख्या 55
पूर्वोक्त, पृष्ठ संख्या 72
पूर्वोक्त, पृष्ठ संख्या 88

Copyright © 2025, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies